दिनांक- 26.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 253/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस की त्वरित कार्यवाही अवैध असलहा से फायरिंग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, तमंचा व कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.06.2026 को थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गौरहारी में अभियुक्तगण रामगोपाल व राहुल निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा वादी शीलेन्द्र कुमार के चाचा फूल सिंह पुत्र गोपीचरन को रास्ते में रोककर रास्ते से निकलने को लेकर गाली-गलौज की गयी तथा मना करने पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से फायर कर दिया गया।

कृत कार्यवाही-

उक्त घटना का पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना में अभियोग पंजीकृत किये जाने व घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। निर्देशों के क्रम में थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 136/2026 धारा 109(1)/126(2)/352 बीएनएस बनाम 02 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त रामगोपाल राजपूत को राठ रोड स्थित बड़ी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा बरामद होने पर मुकदमे में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बरामदगी-

1.एक अदद देशी तमंचा .315 बोर (नाजायज)
2.एक अदद खोखा कारतूस .315 (नाल में फंसा हुआ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.वरि0 उ0नि0 रमेश कुमार यादव
2.रि0कां0 शिवांशु द्विवेदी थाना चरखारी, जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामगोपाल राजपूत पुत्र मातादीन, उम्र करीब 60 वर्ष।
निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा।

दिनांक- 26.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 254/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध गांजा की बिक्री एवं अवैध शस्त्रों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। थाना अजनर में थानाध्यक्ष श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 रमाशंकर, का0 अमर, का0 हरिओम एवं रि0का0 सूरज शामिल थे, द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.06.2026 को पंचायत भवन के पीछे बने पार्क, ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त अभिषेक पाल पुत्र हरचरन पाल, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 112/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रमाशंकर, थाना अजनर जनपद महोबा
2. का0 अमर, थाना अजनर जनपद महोबा
3. का0 हरिओम, थाना अजनर जनपद महोबा
4. रि0का0 सूरज, थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक पाल पुत्र हरचरन पाल, निवासी ग्राम पुरवा पनवाड़ी थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अपराध का विवरण-

- मु0अ0सं0 112/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अजनर जनपद महोबा

दिनांक- 26.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 255/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने

अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्रों की बरामदगी/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थाना श्रीनगर में थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 संदीप विमल एवं हे0का0 शिवदयाल यादव द्वारा आज दिनांक 26.06.2026 को सलारपुर बाध, ग्राम सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त सतेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम मसगवा थाना राठ जनपद हमीरपुर (उ0प्र0) को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 110/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 संदीप विमल, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

2.हे0का0 शिवदयाल यादव, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

सतेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश, निवासी ग्राम मसगवा थाना राठ जनपद हमीरपुर (उ0प्र0)

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर

अपराध का विवरण-

- मु0अ0सं0 110/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना श्रीनगर जनपद महोबा